



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 663 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक 23-9-2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विशय :- जनपद चम्पावत में टकनागूँठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० EP/UK/ROAD/41672/2019) की आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	CA area is proposed in degraded forest land. As per DSS analysis 5 ha area found in VDF and 12 ha area found in MDF. State Govt. may change the area with some other area suitable for CA.	CA area inspected by concerning DFO and found for suitable for CA. (Certificate given by DFO attached) (Attachment no. 1)
2	Out of 9.14 ha area 2 ha area proposed for muck disposal (1 ha in reserve forest land). State Govt. may identify some non-forest land for muck disposal.	The Starting of road upto 2.00 Km. comes under forest land by which no option to provide another place for muck dumping and where the land comes under revenue land is highly agricultural area and residential area for that dumping zone provided in forest land.(Attachment no. 2)
3	CA scheme prepared for Rs. 1,36,45,786 for 18.28 ha area @ Rs. 7,46,487/- per ha. State Govt. may examine the rate prescribed and submit revised CA scheme.	Necessary correction made done at CA scheme. (attached with this letter) (Attachment no. 3)
4	Shape of proposed road found different in KML file and Digital map. Also digital map and SOI toposheet are not C/s by DFO. State Govt. may review the same and submit/upload the correct documents duly C/s by DFO.	Necessary correction made done. All maps prepare at FTI Haldwani as per norms. (Attachment no. 4)
5	In Justification it is mentioned that 1 more road is proposed form PWD in the alignment. State Govt. may submit details of the same and also mark that alignment in KML.	Previously this road proposed form Sukhi-Dhang to Danda Minar Km. 30 to Dandamalla length of 21.00 Km, but PWD complete only 5.00 Km. length hence in PMGSY proposed balance length 16.00 Km. to connect Kaknai and Dandamalla villages. PWD road has also been shown in KML uploaded. (Attachment no. 5 &8)

6	Details of 775 trees found uploaded at para-4 in Part II however details of 827 trees submitted in hard copy, it is mentioned in the proposal that all trees will be cut and in another document of the proposal mentioned that only 408 trees will be cut and 434 will be transplanted. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	Details of trees are re-corrected in Part II. in forest land 803 trees in Nap land 15 trees & Civil Soyam 24 trees total trees 842 trees comes under this proposal in which 408 trees will be cut and 434 trees of size (0-10 or 10-20) will shifted, (Details of trees attached). (Attachment no. 6)
7	Aerial distance of the proposed area from the wild life sanctuary/national park is submitted as 2.8 Km. State Govt. may submit the comments of Chief wildlife warden in this regard.	Re-corrected aerial distance and Comments of Chief wildlife warden are attached (Attachment no. 7)
8	Geologist report submitted/uploaded for some other proposal. State Government may do the necessary correction and upload/submit the correct copy of geologist report in original.	The road proposed in the name of Tand Kaknai -Danda Kathuth, length 21.00 Km. which is constructed in 5.00 Km. length by PWD after that it is proposed in PMGSY in the name of Taknagunth to Dandamalla motor road, length 16.00 Km. but the geologist report for complete 21.00 Km. length in the name of Tand Kaknai -Danda Kathuth motor road. (Attachment no. 5&8)
9	State Government may submit/upload the SIR again, as no comments have been made by DFO against each column in his SIR.	SIR Attached. (Attachment no. 9)
10	In NPV calculation sheet the area is taken as 3.94 ha instead of 9.14 ha. Further density is mentioned as 0.4 but the NPV rate is charged for VDF category of eco-class-V i.e. @ 9.39 lakh/ha. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	Re-corrected NPV Calculation sheet & density attached. (Attachment no. 10)
11	The width of the proposed road has been halved twice for calculation of muck likely to be generated which has resulted into underestimation of muck likely to be generated. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	The cross-section of road is taken triangle in hilly area for hill side cutting and the quantity for cutting has been calculated by taken the average of area of two x-sections. Hence the calculations are O.K. (Attachment no. 11)
12	As per dimensions of the muck disposal sites the total area of muck disposal yards comes to 2.24 ha instead of 2.00 ha mentioned in the proposal. State Govt. may do the needful in this regards.	Correction have been made only 2.00 ha area required for muck dumping. (Attachment no. 12)
13	It is mentioned against para-6 of Part II that the hill slope is steep and the area is prone to erosion but the protection measures required to stabilize the slope have not been suggested. State Govt. may submit the detailed justification and do the needful in this regard.	The protection of side slope shall be done by user agency by providing wire creates, RR dry wall, RR mesonary work, Plum concerte and by seeding and mulching provisions made by user agency in proposal of road,
14	It is seen form details given at para-14 of Part II that the CA stipulated is not commensurate to the area of forest land diverted. Further the progress of CA is 50% which is very poor. State Govt. may review the same and submit correct information.	Details of para -14 of part II re-corrected.

15	DFO in his site inspection report mentioned three conditions and requested for Rs. 45 lakh for some work in the area. State Govt. may submit the comments in this regard.	Comments are related to Nodel officer.
16	In the SIR of DFO has mentioned that the construction of road in the mid of forest will lead to fragmentation of forest and will affect wildlife but the distance of proposed site for diversion form boundary of forest mentioned as 0.10 Km. which appear contradictory. DFO should submit a detailed wildlife management plan based on scientific basis duly approved by the competent authority only.	Distance of proposed site for diversion from boundary of forest reorrected. Wildlife management plan are attached. (Attachment no. 13)
17	'No' mentioned against para-8 (iii) of Part II but the aerial distance of proposed site for diversion in mentioned as 2.80 Km from the boundary of national park, wildlife sanctuary which is contradictory. State Govt. may review the same and submit correct information.	Re-corrected aerial distance are attached. (Attachment no. 7)
18	State Government may submit the hard copy of the above mentioned points.	Attached with this letter.

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भूखंडीय,

 (कुन्दा कुमार)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी


प्रारूप

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं० :- FP/UK/ROAD/41672/2019
2. परियोजना का नाम एवं जनपद :- टकनागूँठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग 18.000 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 हे० वन भूमि का गैरव्यावसायिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जनपद - चम्पावत।
3. परियोजना का क्षेत्रफल (हे० में) :- 9.140 हे०।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०) चम्पावत।
5. वन प्रभाग का नाम व पता :- चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि डुंगराबांकू, कक्ष सं०-21, लोहाघाट रेंज, वन प्रभाग चम्पावत, क्षेत्रफल 18.280 हे० का श्री कुबेर सिंह बिष्ट, प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत (प्रभागीय वनाधिकारी का नाम व वन प्रभाग) द्वारा पुनः दिनांक 13-02-2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का घनत्व 0.4 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है एवं क्षेत्र में 1100 पौधे प्रति हे० रोपित हो सकते हैं। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर



प्र.प. (व.स.प.उ.व.स.)
प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत
पद व मोहर सहित

प्रारूप - क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग, लम्बाई 16.00 कि0मी0

वनभूमि का क्षेत्रफल 18.28 हे0, वृक्षारोपण स्थल चम्पावत, एन प्रभाग के लोहाघाट रोज में दुंगराबागू कक्ष सं0 21 (अनन्त वनभूमि)

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित क्षेत्र में अधिक घनत्व होने से आरक्षित वन क्षेत्र दुंगराबागू कक्ष सं0 21 में रोपित किए जाने वाले पौधों की सं0 24331 पींठे (1331 प्रति हे0)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	18.28	हे0	128.04	2340.57
2	क्षेत्र की रूपरेखा (आड़ी लदान आदि)	18.28	हे0	770.88	14091.69
3	अग्रिम बीजाल वन्यो (कृषिभंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से - 84 X 18.28 हे0 = 756.00 घन मी0	1535.52	घन मी0	447.48	687114.49
4	भूदा एवं जल संरक्षण एवं रायभंग हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्रावधान (पुर्ण)	18.28	हे0	10000.00	182800.00
5	गड्डे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) 1000 प्रति हे0 गड्डे	24331.00	गड्डे	9.68	235524.08
6	निरीक्षण बटिया बनना	18.28	हे0	640.20	11702.86
7	पींठे की कीमत (प्रथम वर्ष)	24331.000	पींठे	8.41	205353.64
8	अन्य व्यय जैसे रोज भ्रमण, औजारों का उपयोग एवं कार्य पर व्यय		1.5	1.5	40000.00
9	अन्य कार्य		1.5	1.5	50000.00
	योग - प्रथम वर्ष				1428927.33
	द्वितीय वर्ष				
1	गड्डा मसन कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	24331.00	गड्डे	1.52	36983.12
2	पींठे की कीमत (द्वितीय वर्ष)	24331.00	पींठे	1.52	36983.12
3	पींठे दुलान कार्य	24331.00	पींठे	8.44	205353.64
4	पींठे रोपण व बालावन्ती	24331.00	पींठे	2.72	66180.32
5	निराई, मुज्राई व नदिलेग (पींठे आर)	24331.00	पींठे	2.00	48662.00
6	खाद व चूने पर व्यय प्रति बीकड़ा पींठे		1.5	1.5	40000.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	18.28	हे0	6293.76	115049.93
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	81 सूखे भात-फूस एवं जलनशील पदार्थों का हटाना प्रति हे0	18.28	हे0	462.00	8445.36
	82 सुखा बीमार/पेरवाइ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	18.28	हे0	297.00	5429.16
	83 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले शमीनों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में सहायकीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/समितियों को प्रोत्साहित देना				


क्रमांक	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹0)	योग
	अ - प्रशिक्षण	18.28	रो०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	रो०	264.00	4825.92
9	अन्य व्यय राशन बोर्ड, पीथ बुलान हेतु टोकरी, सुइली, लोरी अदि कम वृक्षारोपण के समय बर्च से बनने हेतु पौजीधोन सीट कचरे वगैरे से जो तीन बार फोटोग्राफी करके राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचार-प्रसार एवं टेक्नोलॉजिशन अदि कार्य।	18.28	रो०	924.00	16890.72
	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - द्वितीय चरण				644455.13
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				2073382.46
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	रो०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	रो०	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से सम्बन्धित होने वाले शमीनों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा के उत्प्रेक्षणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	रो०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	रो०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	रो०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - तृतीय चरण				250927.18
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	रो०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	रो०	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से सम्बन्धित होने वाले शमीनों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा के उत्प्रेक्षणीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	रो०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	रो०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	रो०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - चतुर्थ चरण				250927.18
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	रो०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	रो०	462.00	8445.36


क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹)	योग
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अभि- सूचना जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अभि-सूचना से संबंधित कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	है०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	है०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	है०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - चतुर्थ वार्षिक				250927.18
	पंचम वार्षिक				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अगले वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	है०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-कूल एवं जल-शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	18.28	है०	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अभि- सूचना जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अभि-सूचना से संबंधित कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	है०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	है०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	है०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - षष्ठ्य वार्षिक				250927.18
	सप्तम वार्षिक				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठ्य वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	है०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-कूल एवं जल-शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	18.28	है०	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अभि- सूचना जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अभि-सूचना से संबंधित कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	है०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	है०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	है०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - अष्टम वार्षिक				250927.18
	नवम वार्षिक				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	है०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे पास-कूल एवं जल-शील पदार्थों को हटाना प्रति है०	18.28	है०	462.00	8445.36


क्र.सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹)	योग
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर प्रवृत्ती राक करना				
	2.3 वृक्षारोपण से सम्बन्धित होने वाले कार्यों को जमिनीदारों को आमंत्रित करके प्रशिक्षण तथा जमिनीदारों को सुरक्षा के उद्देश्यवश कार्य हेतु व्यक्तिगत/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	₹	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	₹	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	₹	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L.S	L.S	50000.00
	योग - अष्टम चरण				250927.18
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	₹	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	₹	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर प्रवृत्ती राक करना				
	2.3 वृक्षारोपण से सम्बन्धित होने वाले कार्यों को जमिनीदारों को आमंत्रित करके प्रशिक्षण तथा जमिनीदारों को सुरक्षा के उद्देश्यवश कार्य हेतु व्यक्तिगत/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	₹	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	₹	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	₹	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L.S	L.S	50000.00
	योग - नवम चरण				250927.18
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	₹	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	₹	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर प्रवृत्ती राक करना				
	2.3 वृक्षारोपण से सम्बन्धित होने वाले कार्यों को जमिनीदारों को आमंत्रित करके प्रशिक्षण तथा जमिनीदारों को सुरक्षा के उद्देश्यवश कार्य हेतु व्यक्तिगत/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	₹	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	₹	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	₹	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L.S	L.S	50000.00
	योग - दशम चरण				250927.18
	एकादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	₹	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	₹	462.00	8445.36

क्रमांक	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	2.2 - सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना 2.3 - वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले शमीषो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	हे०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	हे०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - एकादश चरण				250927.18
	द्वादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह	18.28	हे०	9440.64	172574.90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घाट-कुल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	18.28	हे०	462.00	8445.36
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले शमीषो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	18.28	हे०	297.00	5429.16
	अ - प्रशिक्षण	18.28	हे०	528.00	9651.84
	ब - प्रोत्साहन	18.28	हे०	264.00	4825.92
3	अन्य कार्य		L/S	L/S	50000.00
	योग - द्वादश चरण				250927.18
	कुल योग -				4582654.26


1.1



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड
चम्पावत


Executive Engineer
I D, PWD, (PIU) PMGSY
Champawat


सहायक अभियन्ता
चम्पावत खण्ड

शीट - 4
 9+1

जिबो रेकरेन्स मैप जनपद चम्पावत में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत टकनागौड से डांडागल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।



Legend

▲ GPS Points_NewRoad

Proposed_Road



ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°57'35"E	29°12'3.15"N	12	79°56'56.28"E	29°11'22.33"N	23	79°56'23.69"E	29°11'8.10"N	34	79°55'48.25"E	29°10'58.61"N
2	79°57'5.49"E	29°11'54.50"N	13	79°57'1.33"E	29°11'31.86"N	24	79°56'75.28"E	29°11'22.03"N	35	79°55'49.40"E	29°10'39.65"N
3	79°57'4.80"E	29°11'48.39"N	14	79°56'51.98"E	29°11'24.49"N	25	79°56'13.65"E	29°11'21.33"N	36	79°55'59.11"E	29°10'39.55"N
4	79°56'57.73"E	29°11'43.63"N	15	79°56'43.74"E	29°11'24.96"N	26	79°56'13.05"E	29°11'6.77"N	37	79°56'1.78"E	29°10'37.23"N
5	79°57'9.08"E	29°11'39.00"N	16	79°56'40.60"E	29°11'30.10"N	27	79°56'18.55"E	29°10'53.64"N	38	79°56'1.52"E	29°10'29.86"N
6	79°57'12.12"E	29°11'28.24"N	17	79°56'33.40"E	29°11'30.10"N	28	79°56'8.42"E	29°10'46.56"N	39	79°55'58.99"E	29°10'24.19"N
7	79°57'1.74"E	29°11'25.16"N	18	79°56'37.86"E	29°11'20.58"N	29	79°56'4.53"E	29°10'55.46"N	40	79°56'8.92"E	29°10'29.31"N
8	79°57'7.70"E	29°11'26.10"N	19	79°56'46.51"E	29°11'10.35"N	30	79°56'14.50"E	29°10'58.47"N	41	79°56'17.32"E	29°10'28.98"N
9	79°57'0.47"E	29°11'13.71"N	20	79°56'36.06"E	29°11'14.32"N	31	79°56'0.70"E	29°11'18.95"N	42	79°56'15.87"E	29°10'17.22"N
10	79°57'18.91"E	29°11'10.59"N	21	79°56'27.28"E	29°11'0.78"N	32	79°56'3.94"E	29°11'0.96"N			
	79°56'57.66"E	29°11'10.76"N	22	79°56'32.18"E	29°11'19.04"N	33	79°55'58.78"E	29°11'6.77"N			


मह. अभियन्ता
 डांडा राज
 हल्द्वारी जन. विकास

सहायक अभियन्ता
 पीएमजीएसवाई खण्ड
 चम्पावत

आदेशाधीन अभियन्ता
 (नि.सं. 100-1/2010/वि.सं.)
 चम्पावत

Prepared by: [Signature]
 L.S. [Signature]
 11/11/2010

डिजिटल मैप-जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।



Legend

- Alternate Alignment
- Proposed Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range Boundary
- Division Boundary



सहायक अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संवर्धन विभाग
चम्पावत

आयुक्त अभियन्ता
पीएमजीएसवाई
चम्पावत

जन सेवाधिकारी
डीआर
हल्द्वानी डन चम्पावत

(Signature)
जन सेवाधिकारी
हल्द्वानी डन चम्पावत, हल्द्वानी

60

2.17

संलग्नक-6


प्रपत्र- 17


परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडामल्ला (0.000 से 16.000 कि०मी०) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 842 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें केवल 408 वृक्षों का पतन किया जायेगा, 434 वृक्ष अन्यत्र रोपित किये जायेंगे।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट


प्रभागीय अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट


वन प्रभारी
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर


शारदा


प्रभागीय वनाधिकारी

संलग्न-3 (सूचना)

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/41672/2019) के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 320/12-1 दिनांक 13.08.2020 के क्रम में प्रस्तावित जनपद चम्पावत में टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग की अभ्यारण्य से निकटतम हवाई दूरी 2.45 कि०मी० है। प्रस्तावित परियोजना से वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के उक्त सन्दर्भित पत्र के आधार पर उक्त प्रस्तावित परियोजना हेतु सहमति प्रकट की जाती है।

(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

३६-सतपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-०135-2742884 फैक्स 2742881 ई-मेल- cwfwua@yahoo.co.in

पत्रांक 555 /12-1 देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 12-1
क्रम सं०
संजीवित सं० 936
दिनांक 31-8-20

(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।
18/08/20

को.न.ठ
31/8

मा.
वा.क.
31/8

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

आर०सी०यू० 60 / सड़क / कुमायूँ / 2010

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
के फेज **IX** के अन्तर्गत टाँण-ककनई-डाँडाकठोती मोटर मार्ग,
प्रस्तावित लम्बाई 21 कि०मी०
सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दिसम्बर, 2010

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज IX के अन्तर्गत टाँण-ककनई-डॉंडाकठौती मोटर मार्ग, प्रस्तावित लम्बाई 21 कि०मी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना:-

सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत के अधीन टाँण-ककनई-डॉंडाकठौती मोटर मार्ग का 21 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चम्पावत के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 30-12-2010 एवं 31-12-2010 को श्री दीप जोशी, सहायक अभियन्ता एवं श्री गणेश जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री महेश सकलानी, सर्वेयर की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण-स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि 21 कि०मी० की लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2. स्थिति:-

प्रस्तावित सड़क संरेखन रीठा-कुल्यालगाँव-टाँण मोटर मार्ग के 15वें कि०मी० के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है एवं डॉंडा कठौती मल्ला पर समाप्त हो जाता है। स्थिति के लिये मानचित्र एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं।

3. भूगर्भीय स्थिति:-

प्रस्तावित सड़क संरेखन सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर में गद्य हिमालय के कुमायूँ क्षेत्र के अन्तर्गत है। स्थल पर जौनसार समूह की नागथाट फारमेशन की चट्टानें विद्यमान हैं। स्थल पर मैरून एवं परपिल रंग की लौह अयस्क वाली स्लेट, शिल्टस्टोन, गुलाबी एवं परपिल रंग की क्वार्ट्ज़रिनाइट तथा बेसिक वालकैनिक चट्टानें इण्टरवेडेड हैं। इन चट्टानों के साथ ही मेसिब गुलाबी एवं परपिल रंग की कोर्स एवं फाइनग्रेन्ड की क्वार्ट्ज़ाइट भी फेरुजिनस फिलाइट एवं सिनी फिलाइट के रूप में विद्यमान है। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

(1)	35-215 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	39	दक्षिण पूर्व	नति
(2)	140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	36	उत्तर पूर्व	नति
(3)	70-250 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	48	पश्चिम उत्तर	नति
(4)	90-270 पूर्व-पश्चिम	54	दक्षिण	नति
(5)	150-330 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	64	दक्षिण पश्चिम	नति
(6)	80-280 पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	32	उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(7)	160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	58	उत्तर पूर्व	नति
(8)	100-260 पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम उत्तर पश्चिम	38	उत्तर पूर्व उत्तर	नति
(9)	20-200 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	16	उत्तर पश्चिम	नति

(10)	20-200	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	33°	उत्तर पश्चिम	नति
(11)	100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम उत्तर पश्चिम	76°	उत्तर पूर्व उत्तर	नति
(12)	80-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	74°	उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(13)	130-310	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	88°	उत्तर पूर्व	नति
(14)	160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	26°	उत्तर पूर्व	नति
(15)	80-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	42°	उत्तर पश्चिम उत्तर	नति
(16)	50-230	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	34°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(17)	130-310	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	78°	उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(18)	90-270	पूर्व-पश्चिम	68°	उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(19)	10-190	उत्तर पूर्व उत्तर-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	52°	पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(20)	80-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	56°	उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(21)	10-190	उत्तर पूर्व उत्तर-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	46°	पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(22)	100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	90°	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
(23)	80-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	74°	उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(24)	120-300	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	58°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(25)	20-200	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	90°	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
(26)	180-360	उत्तर-दक्षिण	23°	पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(27)	90-270	पूर्व-पश्चिम	57°	दक्षिण	ज्वाइन्ट प्लेन
(28)	110-290	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	58°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(29)	180-360	उत्तर-दक्षिण	64°	पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानों 16° से 58° के मध्य उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं। इन चट्टानों पर 6 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णन:-

प्रस्तावित सड़क संरेखन रीठा-कुल्यालगाँव-टॉण मोटर मार्ग के 15वें कि०मी० के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है जो डौंडा कठौती-मल्ला में खेतों के पास समाप्त हो जाता है। यह संरेखन 33 सूखे तथा 1 पेरिनियल नालों से होकर गुजरता है। जगमोरिया गाड़ में वर्षा के दिनों में पानी अधिक रहता है। पहाड़ी ढलान सामान्य, मध्यम एवं उच्च श्रेणी के पहाड़ी ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है जो उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी हैं। यह संरेखन टॉण-घंघरानी-लधौनखान, ककनई, भूगरू, ल्युन्दरा, सेल्लोली, वैजलपट्टा, कठौती, डौंडा कठौती-मल्ला को आपस में जोड़ता है। संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानों क्वार्ट्जाइट एवं बेसिक इन्ट्रजिव की कठोर श्रेणी के अन्तर्गत, जबकि फिलाइट नरम श्रेणी के चट्टानों की श्रेणी में हैं। यह संरेखन टॉण में श्री घनानन्द के घर के ऊपर की ओर पहाड़ी से लधौलकान में श्री लक्ष्मण सिंह के मकान के पीछे की ओर से शिव मन्दिर के पास तदुपरान्त श्री होशियार सिंह के मकान के पीछे की ओर स्थित पैदल मार्ग के ऊपर से गुजरता है जो पहाड़ी के रिज पर स्थित है। ककनई में यह संरेखन श्री गोपाल सिंह, श्री वी०एस०मेहर, श्री पुष्कर सिंह के मकानों के पास से गुजरते हुए भूमिया मन्दिर के पास से श्री बधीसिंह के मकान के पास से होते हुए जूनियर हाईस्कूल कठौती के पीछे की ओर पहाड़ी ढलान से होते हुए श्री श्याम सिंह महर के घर के ऊपर की ओर पहाड़ी से होते हुए जगमोरिया गाड़ उसके उपरान्त श्री रमेश राम एवं श्री श्याम लाल के मकानों के पास से होते हुए डौंडा कठौती में खेतों पर समाप्त हो जाता है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के फाल, 1:24 के राइज, 1:30 के राइज, लेवल, 1:20 के फाल, 1:24 के फाल, 1:30 के फाल, 1:40 के फाल, 1:60 के फाल में प्रस्तावित हैं। सड़क संरेखन में

12 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का अधिकांश भाग वन भूमि में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय स्ट्रेटीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेग्रिस
सिनी फिलाइट
परपिल क्वार्ट्जाइट
इन्द्रजिव वालकेनिक्स
क्वार्ट्जाइट (ग्रे एवं हरे रंग में)
वेसिक इन्द्रजिव
क्वार्ट्जाइट (सफेद एवं गुलाबी रंग के)
फिलाइट (काले रंग में)
क्वार्ट्जाइट (फाइनग्रेन्ड)
सायल पाकेट्स
फिलाइट

5. स्थाईत्व का विचार:-

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना अति आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन, मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
2. यह संरेखन 33 सूखे तथा 1 पेरिनल नालों से होकर गुजरता है।
3. जगमोरिया सूखे नाले में वर्षा के दिनों पानी का बहाव अधिक है।
4. सड़क संरेखन में 12 हेयर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
5. भूकम्पीय दृष्टि से प्रस्तावित भू-भाग जोन IV के अन्तर्गत है।
6. संरेखन के भाग में स्थित क्वार्ट्जाइट तथा वेसिक इन्द्रजिव की चट्टानें कठोर श्रेणी के अन्तर्गत हैं।
7. संरेखन का अधिकांश भाग वन भूमि से होकर गुजरता है।
8. पहाड़ी ढलान सामान्य तथा मध्यम श्रेणी के पहाड़ी ढलान पर है।
9. यह संरेखन गाँव में स्थित मकानों के आस-पास तथा मध्य से भी होकर गुजरता है।
10. यह संरेखन कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।

6. सुझाव:-


प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. पेरिनियल एवं सूखे नालों पर स्कपर्स/डबल स्कपर्स, काजवे एवं क्लवर्ट का निर्माण किया जाए।
2. जगमोरिया गाड पर 24 मी० विस्तार के स्टील गर्डर पुल का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाए।
4. कृषि भूमि पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाए।
5. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप कार्य किये जाएं।
6. हेयर पिन बैण्ड्स को मानकों के अनुरूप बनाया जाए।
7. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्गों के लिए निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के विशिष्ट मानकों के अनुरूप उपाय किये जाएं।
8. गाँव में स्थित मकानों की सुरक्षा के उपाय किये जायें।
9. उच्च ढलान क्षेत्रों पर मोटर मार्ग के निर्माण के समय मिलने वाले अवसाद को न गिराया जाए।
10. कृषि भूमि में निर्माण के समय टाप सायल को कृषि के लिए ही उपयोग में लाया जाए।

7. निष्कर्ष:-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए टाँग-ककनई-डोंडाकटोती मोटर मार्ग का 21 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी: स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श किया गया।



(डा० आर० सी० उपाध्याय)


भू-वैज्ञानिक

आर० ज्यू० पी० / (डा० आर० सी० उपाध्याय)
डी० आर० एन०, 14/11/2002-10

हिमाची-ज्यू, रामीधारा टाप

अल्मोडा 263601 (उत्तराखण्ड)

F. No. 5-3/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)



Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 520.
Dated : 05.02.2009.

To
The Principal Secretary / Secretary (Forests),
All State / UT Governments.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forestry purposes under Forest (Conservation) Act, 1980 - Guidelines for collection of Net Present Value (NPV).

Sr,
The Ministry of Environment and Forests, Government of India has been receiving representations from different States seeking detailed clarification and guidelines on the above mentioned subject in the light of the Supreme Court Judgment dated 28.03.2008 revising the general rates of NPV and various other orders defining differential rates for various categories of projects.

After careful examination of the issue, I am directed to inform that the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgement dated 28.03.2008, has re-fixed the rates of Net Present Value (NPV) on the basis of scientific data taking in view the ecological role and value of the forests. The 18 major forest types have been re-grouped into 6 ecological classes depending upon their biological functions.

- Class I - Consisting of Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
- Class II - Consisting of Littoral and Swamp Forests
- Class III - Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests
- Class IV - Consisting of Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
- Class V - Consisting of Sub-tropical Broad Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
- Class VI - Consisting of Montane Wet Temperate Forests, Himalayan Moist Temperate Forests, Himalayan Dry Temperate Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

Based on the ecological importance of forest falling in different eco-value and canopy thickness, relative weight age factors have also been taken into consideration. By using relative weight age factors, the equalized forest area in eco-value Class-I and very dense corresponding to forest falling in different eco-value and density classes have been fixed. The net present value per hectare of forest has been fixed based on this data. For fixing the average net present value per hectare of forest in India, the following information regarding goods and services provided by the forest have been considered:-

[Handwritten signatures and dates]

- (v) Value of Eco-tourism
- (vi) Value of bio-prospecting
- (vii) Value of Ecological services of forest
- (viii) Value of Flagship Species
- (ix) Carbon Sequestration Value

Based on the above, the NPV was fixed and the following recommendations have been made by the Hon'ble Supreme Court of India:-

- (i) For non-forestry use / diversion of forest land, the NPV may be directed to be deposited in the Compensatory Afforestation Fund as per the rates given below:-

Eco-Value	Class and NPV rates in Rs. per Hect					
	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI
Very Dense Forest	10,43,000	10,43,000	8,87,000	6,26,000	9,39,000	9,91,000
Dense Forest	9,39,000	9,39,000	8,03,000	5,63,000	8,45,000	8,97,000
Open Forest	7,30,000	7,30,000	6,26,000	4,38,000	6,57,000	6,99,000

N.B. The NPV rate fixed would hold good for a period of three years and is subject to variation after three years as per the Supreme Court's judgement dated 28.03.2008.

- (ii) The use of forest land falling in National Parks / Wildlife Sanctuaries will be permissible only in totally unavoidable circumstances for public interest projects and after obtaining permission from the Hon'ble Court. Such permissions may be considered on payment of an amount equal to ten times in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries respectively of the NPV payable for such areas. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount may be fixed at five times the NPV payable for the adjoining forest area.

The Hon'ble Supreme Court of India, vide its order dated 24.04.2008 and 09.05.2008, has also exempted certain category of projects as per the details given below:

Sl. no.	List of Activities/Projects	Exemption Levels for NPV (as percentage of full chargeable NPV)	Remarks
(i)	Schools	Full exemption up to 1.00 ha of forest land provided: (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial nature.	As per Hon'ble Supreme Court Order dated 09.05.2008 regarding correction of the judgment dated 28.03.2008.
(ii)	Hospitals		
(iii)	Children's play ground of non-commercial nature		
(iv)	Community centers in rural areas		

Director, Afforestation
Ministry of Environment
Government of India

Forest Clearance		FORM NO. 1	Date of the NPV of the entire area.	21 Sep. 2013 12:03 P 3
7.	Field Firing Range	Full exemption provided: (a) no felling of trees are involved; and (b) no likelihood of destruction of forest is involved.	-do-	As per Hon'ble Supreme Court Order dated 24.04.2008.
8.	Wind Energy Projects	50% of the minimum rate of the NPV irrespective of the eco-class in which the project has provided minimum tree felling is involved.	-do- and CEC clarification dated 22.12.2008	

In case of any other category seeking exemption from payment of NPV, the State Government/User agency may approach Hon'ble Supreme Court of India as per its order dated 24.04.2008 & 09.05.2008.

This issues with the approval of competent authority.

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All States / UTs.
2. The Nodal Officer (PCA), O/o the PCCFs, All States / UTs.
3. All Regional Offices of MoEF located at Bhopal, Shillong, Bangalore, Bhubaneswar, Lucknow and Chandigarh.
4. The RO (HQ), MoEF, New Delhi.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(Signature)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

(Signature)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

True Copy
(Signature)
2013

2013
2013

Performa – 7

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

7.1 A proposal has been received by this office from Irrigation Division P.M.G.S.Y. (P.W.D.) Champawat for diversion (under FCA-1980) of 9.14 ha of forest land/non forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Taknaguth to Danda Malla Matar Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 03.11.2019.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protected forest measuring 9.14 ha.

The requirement of forest land proposed by the user agency in col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the details there of – Nil

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if requires – Nil

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter I, Para C of Handbook of forest (Conservation), Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.


The present Taknaguth to Danda Malla Matar Road Construction work, is proposed in mid of the forest area. Hence due to land transfer, the forest area would be separated in two parts, as a results of which the movement of wild life is to be affected. the construction of road will lead to increase in movement of vehicles as well as people incidents of illicit felling, poaching, man-animal conflict, accident of wild animal on road etc. may increase.

further this new allweather road will connecting with Danda village which further connects with Nandhaur Wild Life Sanctuary.

Hence furth the forest department need to be suitably equipped to handle the new challenges. the project is recommended with following additional demands for forest department.

1. Rs. 15 Lakh for Camper for patrolling.
2. Barring forest chowki in Danda Village, there is no other infrastructure of forest department. Rs 20 Lakh should be allotted for repair of FRH in Danda. if the repair is not possible, then new touring officer quarter would be constructed with this fund, this will be very useful for officer as well as staff, who are on field visit, inspection, patrolling etc.
3. Rs. 10 Lakh should be provided for constructions of new barrier/Gate at a place decided the Director of Nandhaur Wild Life Sanctuary.

(Signature)



Name – Mahesh Yadav

Designation - District Forest Officer

हस्ताक्षर
हल्द्वानी

Place:- Haldwani

Date: 3-11-2019

N. B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted. Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option this is not applicable.

D Man/Letters 2019

प्रारूप - 50

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई - 16 कि०मी०)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

आरक्षित वन क्षेत्र -

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	V
2. हरियाली का घनत्व	-	0.72
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०	-	9,39,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	3.94
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	36,99,660.00

सिविल सोयम वन क्षेत्र -

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	V
2. हरियाली का घनत्व	-	0.40
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०	-	6,57,000.00
4. आवेदित सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	-	5.20
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	34,16,400.00

कुल एन०पी०वी० की धनराशि - 71,16,060.00


 प्रशासनिक वन-बिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


(63)
मक डिस्पोजल प्लान

संलग्न-11

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडामल्ला मोटर मार्ग में मक डिस्पोजल।

Sl. No	Km & Change	Length in mtr.	Land Type	Cross Section Start & Last	Total Qty of Muck
1	2	3	4	5	6
1	0.000 to 3.400	3400	R/F.Civil.Nap.Land	$6.00 \times 6 \times 1/2 = 18.00$ $6.00 \times 5.95 \times 1/2 = 17.87$ $3400(18.00 + 17.87)/2 =$	62772.50 cum
2	3.400 to 6.600	3200	Nap & Civil Land	$3.00 \times 5.95 \times 1/2 = 8.92$ $4 \times 6 \times 1/2 = 12.00$ $3200(8.92 + 12.00)/2 =$	32472.00 cum
3	6.600 to 9.900	3300	R/F Civil & Nap Land	$6.00 \times 6 \times 1/2 = 18.00$ $6.00 \times 5.95 \times 1/2 = 17.87$ $3300(18.00 + 17.87)/2 =$	59185.50 cum
4	9.900 to 10.500	600	Nap & Civil Land	$3.00 \times 5.95 \times 1/2 = 8.92$ $4 \times 6 \times 1/2 = 12.00$ $600(8.92 + 12.00)/2 =$	6276.00 cum
5	10.500 to 14.000	3500	R/F & Civil Land	$6.00 \times 6 \times 1/2 = 18.00$ $6.00 \times 5.95 \times 1/2 = 17.87$ $3500(18.00 + 17.87)/2 =$	62772.50 cum
6	14.000 to 16.000	2000	Nap Land	$4 \times 5.95 \times 1/2 = 11.90$ $3 \times 5.95 \times 1/2 = 8.92$ $2000(11.90 + 8.92)/2 =$	20820.00 cum
Total					244298.50 cum OR 244299.00
Rocks (66%)					146579.00 cum
Muck (45%)					97720.00 cum



उप


सहायक अभियंता
पंचायत समिति चम्पावत
जिला चम्पावत, उत्तर प्रदेश


उप


उप







उप


उप

Muck Disposal of TaknaGunth To Danda Malla Motor Road

Sl. No.	Km. & Ch.	Total Muck as per Sheet		Size of dumping Yard	Capacity of dumping	Owner of Land	Coordinate		
		3	4				Longitude	Latitude	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1	0.000 to 3.400	Total Muck	62772.50	50x50x6	15000.00	Civil Land	79 ^h 57.10.78 E	29 ^o 11.37.16 N	
		60% Used Muck	37663.50	50x40x6	12000.00		79 ^o 57.4.99 E	29 ^o 11.17.83 N	
		50% Un used Muck	25109.00						
2	3.400 to 6.600	Total Muck	32472.00	50x40x6	12000.00	Civil Land	79 ^o 56.56.65 E	29 ^o 11.19.76 N	
		50% Used Muck	16236.00	30x20x5	3000.00		79 ^o 56.49.32 E	29 ^o 11.23.90 N	
		50% Un used	16236.00	20x20x5	2000.00		79 ^o 56.49.32 E	29 ^o 11.23.90 N	
3	6.600 to 9.900	Total Muck	59185.50	50x40x6	12000.00	Civil Land	79 ^o 56.29.80 E	29 ^o 11.10.56 N	
		60% Used Muck	35511.00	50x40x5	10000.00		R/F	79 ^o 56.3.90 E	29 ^o 10.19.5 N
		40% Un used Muck	23674.20	50x40x4	8000.00			79 ^o 56.3.90 E	29 ^o 10.19.5 N
4	9.900 to 14.000	Total Muck	69048.50	60x15x5	4500.00	R/F	79 ^o 55.51.04 E	29 ^o 10.57.74	
		50% Used Muck	34534.25	50x40x6	12000.00			79 ^o 55.51.04 E	29 ^o 10.57.74
		50% Un used	34524.25	40x40x6	9600.00			79 ^o 55.51.04 E	29 ^o 10.57.74
5	14.000 to 16.000	Total Muck	20820.00	50x40x6	12000.00	Civil Land	79 ^o 55.59.05 E	29 ^o 10.23.83 N	
		60% Used Muck	12492.00						
		40% Un used Muck	8328.00						
				Total = 2.00 Hec.					

Total Land Of muck Disposal R/F 1.00 hec And Civil Land 1.000 hec

ज. सी. झा
 ज. सी. झा
 ज. सी. झा
 ज. सी. झा
 ज. सी. झा

ज. सी. झा
 ज. सी. झा
 ज. सी. झा

टकनागूँठ (ककनई) से डोंडा मल्ला तक लिंक मोटर मार्ग वन्य जीव सुरक्षा प्रबन्ध योजना

संक्षिप्त तथ्य

प्रस्तावित मोटर मार्ग का नाम – टकनागूँठ (ककनई) से डोंडा मल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण

प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल लम्बाई—16 किलोमीटर

हस्तान्तरित किये जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल—9.14 है०

निकटतम ग्राम का नाम – ककनई, कठौती तथा डोंडा तल्ला व मल्ला

निकटतम जल स्रोत का नाम – गंगसा नाला

निकटतम सूक्ष्म जलाशय का नाम – चौरापानी

वन भूमि कक्ष का नाम – देवता बीट कक्ष संख्या 9, 10, व 11

कक्ष का जी०पी०एस० –

1. N- 29° 10' 53.54" E-079° 56' 03.47"
2. N- 29° 10' 48.30" E-079° 55' 58.58"
3. N- 29° 10' 38.81" E-079° 55' 59.50"
4. N- 29° 10' 50.48" E-079° 56' 05.80"
5. N- 29° 10' 39.37" E-079° 56' 27.36"

कक्ष में पडने वाले नदी नाले— थनाजाला गाड़ एवं जगमोरी नाला

कक्ष में मिलने वाली मिट्टी का प्रकार— दोमट व पथरीली

जलवायु – सामान्य

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूँठ (ककनई) से डोंडा मल्ला तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (ल०-16.00किमी०) राज्य राजमार्ग टकनागूँठ (ककनई) से डोंडा मल्ला मोटर मार्ग से किमी० 28 व 29 किमी० में डोंडा मल्ला मोटर मार्ग से ग्राम डोंडा तक किया जा रहा है । जिसका समरेखण आरक्षित वन भूमि के देवता क०स० 09 व 10 से तथा वहाँ आने वाली सिविल वन भूमि से गुजर रहा है। देवता कक्ष संख्या 09 तथा 10 का क्षेत्रफल क्रमशः 220.50, 146.60 व 208.90 है० है, (प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु हस्तान्तरित वन भूमि 9.14है०), 4.2किमी०, जो समुद्र तल से क्रमशः 977मी०, 1008मी० व 1023मी० ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ पर घीड़, साल, कोकाट आदि मिश्रित प्रजातियों के घने वृक्ष होने के कारण विभिन्न वन्य जीवों का प्रवास स्थल है, चूँकि इस आरक्षित वन क्षेत्र से निकटतम गाँवों की दूरी लगभग 0.500 किमी० से 5.00किमी० से अधिक है, इसलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले वन्य जीव बिना किसी शोक-टोक और भय के इस क्षेत्र में निवास करते हैं । यहाँ पर वन्य जीवों में सामान्यतः गुलदार, हिरण, काकड, सियार, बन्दर, लंगूर सेयी, गौ, साँप, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि प्रजातिया पायी जाती है। इस प्रबन्ध योजना के गठन हेतु वन क्षेत्राधिकारी डोंडा की अध्यक्षता में वन सम्बन्धित वन दरोगा तथा वन बीट प्रभारी की गठित टीम द्वारा उक्त क्षेत्र में किये गये स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण कर सम्भवतः मार्ग निर्माण के कारण वन्य जीवों पर होने वाले सम्भवतः प्रभाव का आँकलन कर तदनुसार इस योजना में कार्यों को वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रस्तावित किया गया है । मार्ग निर्माण से होने वाली क्षति तदनुसार प्रस्तावित कार्यों का प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा योजना के समस्त घटकों के मूल्यांकन कर योजना को अन्तिम स्वरूप दिया गया है ।

वन्य जीव प्रबन्ध योजना का उद्देश्य

1. मार्ग निर्माण से वन्य जीवों के बाधित आवागमन के क्षतिपूर्ति करने हेतु वैकल्पिक कोरीडोर पैसेज का सुदृढीकरण करना ।
2. वन्य जीवों हेतु वैकल्पिक जल स्रोतों के माध्यम से जल की व्यवस्था करना ।
3. क्षेत्र में निगरानी हेतु स्टाफ की पेट्रोलिंग सम्बन्धी व्यवस्था करना एवं कैमरा ट्रैप आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना ।
4. वन्य जीवों व वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना ।

सड़क निर्माण से वन्य जीवों पर पड़ने वाले सम्भवतः प्रभाव

क. वन्य जीवों के दैनिक आवागमन पर प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न वन्य जीव प्रजातिया क्षेत्र में मार्ग के ऊपरी भाग से नीचले भाग की तरफ पानी आदि हेतु नाले/खाले की ओर दैनिक रूप से गतिविधियाँ करती है, मोटर मार्ग निर्माण से कहीं न कहीं इस पर बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिस हेतु वन्य जीवों के आवागमन को सुचारू रखने के लिए जगमोरी नाले पर प्रस्तावित पुलिया के नीचे से प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है, जिसमें वृक्षारोपण व चैक डैम आदि के माध्यम से नमी व सघनता (झाड़िया आदि) को बढ़ावा देना प्रस्तावित है ताकि वन्य जीव उपयुक्त वनास्पतिक सघनता वाले इस कोरीडोर से बिना मानवीय डर के आवागमन कर सकें ।

ख. मार्ग के ऊपरी भाग के निवासरत वन्य जीवों के लिए पानी पीने हेतु नीचले भाग में विद्यमान मात्र एक ही विकल्प के रूप में जगमोरी नाला है । इसके अलावा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है तथा मार्ग निर्माण के कारण नीचले भाग में पानी पीने की सम्भावना कम हो जायेगी । ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र में वैकल्पिक पानी की व्यवस्था हेतु जलकुण्ड आदि का निर्माण किया जाना आवश्यक है, ऐसे कार्यो को वन्य जीव प्रबन्ध योजना में प्रस्तावित किया गया है ।

ग. मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त उक्त क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप भी बढ़ जायेगा, जिसके क्रम में वन अपराध जैसे अवैध शिकार, अवैध पातन, एवं अवैध खनन आदि के बढ़ जाने की प्रबल सम्भावनाएँ है । ऐसी स्थिति में क्षेत्र में प्रभावी निगरानी एवं अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था की जानी अति आवश्यक है । जिस हेतु ऐंटी पोचिंग हट, पेट्रोलिंग किट एवं कैमरा ट्रैप, मानवीय संसाधन की व्यवस्था वन्य जीव प्रबन्धन योजना में की गयी है ।

वन्य जीव प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

उक्त सड़क निर्माण से वन्य जीवों के प्रभावित होने के क्रम में वन्य जीव प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

1. वन मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात वन्य जीवों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

क. वन्य जीवों के दैनिक आवागमन हेतु प्राकृतिक पैसेज को सुदृढ़ करना ।

ख. पेट्रोलिंग हेतु एक कैम्पर का क्रय करना ।

ग. देवता बीट में प्रस्तावित मार्ग के निकटतम वन विश्राम भवन दुर्गापीपल का सुदृढीकरण/निर्माण कार्य किया जाना ।

घ. डोंडा गाँव में एन्टीपोचिंग चौकी का निर्माण एवं डोंडा वन चौकी की मरम्मत एवं बैरियर का निर्माण ।

2. वन्य जीव अपराध की रोकथाम एवं निगरानी

क. स्टाफ की प्रभावी, पेट्रोलिंग हेतु टकनागोठ (ककनई के समीप) में एन्टी पोचिंग हट का निर्माण करना

ख. स्टाफ की पेट्रोलिंग की गतिविधियों को बढ़ाना/पेट्रोलिंग हेतु एक कैम्पर का क्रय ।

ग. वन्य जीवों के अनुश्रवण हेतु आधुनिक तकनीकी अर्थात् कैमरा, कैमरा ट्रैप आदि का क्रय कर उपयोग करना ।


घ. सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारियों के ढाचे को सद्द करने के अन्तर्गत डोंडा चौकी की विशेष मरम्मत ।

ङ. चार वाचर (मानवीय संसाधन) दो वर्ष हेतु ।

**वन्य जीव सुरक्षा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर
आने वाले व्यय का आगणित प्राक्कलन**

क्र.स.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	मार्ग में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों से प्रभावित वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर के रूप में विभिन्न बटियायों का सुदृढ/जीर्णोद्धार करना					
A	देवता क०स० 11 से 12 तक	5.00	Km.	50000.00	Km.	250000.00
B	देवता क०स० 10 से 09 तक	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
2	देवता बीट के निकटतम वन दुर्गापीपल वन विश्राम भवन का सुदृढीकरण/निर्माण	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
3	वन्य जीवों की सुरक्षा/पेट्रोलिंग हेतु पैदल वन मार्ग का सुदृढीकरण करना					
A	देवता क०स० 10 में	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
B	देवता क०स० 11 में	5.00	Km.	50000.00	Km.	250000.00
C	देवता क०स० 8 में	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
4	डोंडा चौकी में वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु सोलर फैनसिंग, व डोंडा चौकी की गरम्ट व शौचालय, बिजली, पानी, आदि की व्यवस्था	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
5	एटीपोविंग गतिविधियाँ					
A	वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु डोंडा में एटीपोविंग हट का निर्माण करना तथा बैरिटर की व्यवस्था व सोलर फैनसिंग कार्य	1.00	No.	2000000.00	No.	2000000.00
B	कैमरा ट्रैप	8.00	No.	22000.00	No.	176000.00
6	पेट्रोलिंग गतिविधियाँ					
A	पेट्रोलिंग स्टाफ हेतु पेट्रोलिंग किट	20.00	No.	15000.00	No.	300000.00
B	पेट्रोलिंग हेतु मानवीय संसाधन 02 वर्ष हेतु (04 अभिक)	8.00	No.	92880.00	No.	743040.00
C	जी०पी०एस० हेतु वाजबैल सेल एवं चार्जर				-	11000.00
D	पेट्रोलिंग हेतु एक कैम्प का क्य	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
					योग-	8380040.00
	अन्य आकस्मिक व्यय 2.5 प्रतिशत					209501.00
					कुल योग-	8589541.00
					या-	85,89,500.00


(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



(राम कृष्ण गौरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा उप प्रभाग, टनकपुर


(मुकेश प्रसाद शैल)
वन क्षेत्राधिकारी
डोंडा वन क्षेत्र दुर्गापीपल

**वन्य जीव सुरक्षा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर
आने वाले व्यय का आगणित प्राक्कलन**

क्र.स.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	मार्ग में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों से प्रभावित वन्य जीवों के प्राकृतिक कोरिडोर के रूप में विभिन्न बटियायों का सुदृढ़/जीपीद्वार करना					
A	देंवता क0स0 11 से 12 तक	5.00	Km.	50000.00	Km.	250000.00
B	देंवता क0स0 10 से 09 तक	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
2	देवता बीट के निकटतम वन दुर्गापीपल वन विश्राम भवन का सुदृढीकरण/निर्माण	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
3	वन्य जीवों की सुरक्षा/पेट्रोलिंग हेतु पैदल वन मार्ग का सुदृढीकरण करना					
A	देंवता क0स0 10 में	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
B	देवता क0स0 11 में	5.00	Km.	50000.00	Km.	250000.00
C	देंवता क0स0 9 में	4.00	Km.	50000.00	Km.	200000.00
4	डोंडा चौकी में वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग, व डोंडा चौकी की मरम्मत व शौचालय, बिजली, पानी, आदि की व्यवस्था	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
5	एंटीपोथिंग गतिविधियाँ					
A	वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु डोंडा में एंटीपोथिंग हट का निर्माण करना तथा बैरियर की व्यवस्था व सोलर फेंसिंग कार्य	1.00	No.	2000000.00	No.	2000000.00
B	कैमरा ट्रैप	8.00	No.	22000.00	No.	176000.00
6	पेट्रोलिंग गतिविधियाँ					
A	पेट्रोलिंग स्टाफ हेतु पेट्रोलिंग किट	20.00	No.	15000.00	No.	300000.00
B	पेट्रोलिंग हेतु मानवीय संसाधन 02 वर्ष हेतु (04 श्रमिक)	8.00	No.	92880.00	No.	743040.00
C	जी0पी0एस हेतु चार्जबल रील एवं चार्जर				-	11000.00
D	पेट्रोलिंग हेतु एक कैम्पर का कय	1.00	No.	1500000.00	No.	1500000.00
					योग-	8380040.00
	अन्य आकस्मिक व्यय 2.5 प्रतिशत					209501.00
					कुल योग-	8589541.00
					या-	85,89,500.00


(कृष्ण कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी


(राम कृष्ण भोरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
शारदा उप प्रभाग, टनकपुर


(प्रसाद शील)
वन क्षेत्राधिकारी,
डाण्डा वन क्षेत्र दुर्गापीपल

कैमरा ट्रैप से ट्रैक किए गये वन-जंगल के फोटोग्राफ



केपरा हूँप से डेक गिरे जो बन्द जीवों के फोटोग्राफ

